خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی، لکھنؤ، اتر پردیش (ہندوستان)
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)
U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
(Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

संख्या : 5369/भाषाविवि/पानिका/2021/49/10TC दिनांकः 03.02.2021

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की 09वीं बैठक दिनांक 27.01.2021 का कार्यवृत्त

उपस्थिति		
क्रम सं0	अधिकारियों/शिक्षकों का नाम	पदनाम
1.	प्रो0 विनय कुमार पाठक, माननीय कुलपति/माननीय अध्यक्ष।	मा0 अध्यक्ष
2.	प्रो0 मो0 सग़ीर बेग अफ़राहीम, उर्दु विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़।	सदस्य
3.	प्रो0 मो0 शफ़ीक अहमद, कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर।	सदस्य
4.	प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।	सदस्य
5.	प्रो0 मासऊद आलम, संकायाध्यक्ष, कला एवं मानविकी संकाय/विभागाध्यक्ष, अरबी विभाग।	सदस्य
6.	प्रो0 सैय्सद हैदर अली, सकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण संकाय/ विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रबन्धन विभाग।	सदस्य
7.	प्रो0 एस0एस0ए0 आशरफी, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय/ विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग।	सदस्य
8.	प्रो0 चन्दना डे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय/विभागाध्याक्ष शिक्षाशास्त्र।	सदस्य
9.	प्रो0 संजीव कुमार त्रिवेदी, निदेशक, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक	विशिष्ट आमंत्रित
10.	डॉ0 फख़रे आलम, सह आचार्य, उर्दू विभाग।	सदस्य
11.	डॉ0 तनवीर ख़दीजा, सह आचार्य, विभागाध्यक्ष अग्रेज़ी विभाग।	सदस्य
12.	डॉ0 मुशीर अहमद, सह आचाय, व्यवसाय प्रबंन्धन विभाग।	सदस्य
13.	डॉ0 अब्दुल हफ़ीज़, सहायक आचार्य, अरबी विभाग।	सदस्य
14.	डॉ0 प्रियंका, सहायक आचाय, गृह विज्ञान, सहायक संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं छात्रकल्याण।	सदस्य
15.	डॉ0 नीरज शुक्ल, सहायक आचाय, वाणिज्य विभाग।	सदस्य
16.	डॉ0 पूनम, सहायक आचाय, इतिहास विभाग। (प्रतिनिधि एस0सी0/एस0टी0)	सदस्य
17.	डॉ0 रूचिता सुजए चौधरी, सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग। (प्रतिनिधि एस0सी0/एस0टी0)	सदस्य
18.	डॉ0 तनु डंग, सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग।	विशिष्ट आमंत्रित
19.	डॉ0 सौबान सईद, सहायक संकायाध्यक्ष, कला एवं मानविकी संकाय।	विशिष्ट आमंत्रित
20.	डॉ0 प्रवीन कुमार राय, सहायक संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान।	विशिष्ट आमंत्रित
21.	डॉ0 जावेद अख़्तर, सहायक संकायाध्यक्ष, कला एवं मानविकी संकाय।	विशिष्ट आमंत्रित
22.	डॉ0 मनीष कुमार, सहायक संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय।	विशिष्ट आमंत्रित
23.	डॉ0 रज़ा अब्बास हैदरी, सहायक संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।	विशिष्ट आमंत्रित
24.	डॉ0 उधम सिंह, सहायक संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण।	विशिष्ट आमंत्रित
25.	श्री अशोक कुमार अरविन्द, कुलसचिव।	सदस्य सचिव
26.	श्री संजय सिंह, वित्त अधिकारी।	विशिष्ट आमंत्रित
27.	प्रो0 एहतेशाम अहमद,संकायाध्यक्ष, वाणिज्य, परीक्षा नियंत्रक/सदस्य सचिव।	नमित सदस्य सचिव

माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से परीक्षा नियंत्रक द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सर्वप्रथम परीक्षा नियंत्रक द्वारा विद्या परिषद के माननीय अध्यक्ष/माननीय कुलपति व सभी सम्मानित सदस्यों एवं विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों तथा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी का बैठक में स्वागत किया गया। स्वागत के उपरान्त बिन्दुवार विद्यापरिषद की 09वी बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

परीक्षा नियंत्रक
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

कुलसचिव
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
कुलपति
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

कार्यवाही

बिन्दु संख्या–1 **विद्यापरिषद् की 08वीं बैठक दिनांक 15–07–2020 की पुष्टि।**

निर्णय– विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से विद्यापरिषद की 08वी बैठक में की गयी कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

बिन्दु संख्या–2 **पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी विद्यापरिषद की आठ बैठकों में कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही पर विचार।**

निर्णय– माननीय कुलपति/अध्यक्ष महोदय द्वारा कुलसचिव को निर्देशित किया गया है कि वे एक सप्ताह में पूर्व आठ बैठकों की कृत कार्यवाहियों से अवगत कराये जिसे विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सवृसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–कुलसचिव।**

बिन्दु संख्या–3 **उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक–5806/सत्तर–3–2020 दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत एकेडमिक डाटा बैंक पोर्टल में छात्र–छात्राओं एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की आधारभूत सुविधाओं का डाटा अपलोड करने पर विचार विमर्श।**

निर्णय– बिन्दु संख्या–3 के क्रम में माननीय कुलपति/अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ0 रज़ा अब्बास हैदरी, सहायक आचार्य, कम्प्यूटर साईस एवं आई0टी0 विभाग को सात कार्यदिवसों में पूर्ण कार्य सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया जिसे समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–डॉ0 रज़ा अब्बास हैदरी।**

बिन्दु संख्या–4 **विश्वविद्यालय के समस्त संकायों की संकाय बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार–विमर्श।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा समस्त संकायाध्यक्षों से बैठक के कार्यवृत्त के विषय में अपना मत एवं विशेष बिन्दुओं को समिति के समक्ष उल्लिखित करने हेतु अनुरोध किया, जिसपर समस्त सदस्यों द्वारा समस्त संकायों के संकाय बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त पर सवृसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया, इसके अतिरिक्त माननीय कुलपति महोदय द्वारा समस्त संकायों द्वारा विशेष बिन्दुओं को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रथमतः प्रो0 चंदना डे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के बी0एड0 पाठ्यक्रम के विद्यार्थी स्नातक करने के उपरान्त ही बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते है अतः बी0एड0 में एलीमेन्ट्री विषय (उर्दू, अरबी, फारसी अथवा संस्कृत) पढ़ाया जाना उचित प्रतीत नही होता है, जिसपर माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया, इसके अतिरिक्त प्रो0 सैय्यद हैदर अली, प्रो0 मसऊद आलम एवं प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफ़ी द्वारा अवगत कराया गया कि बी0एड0 पाठ्यक्रम स्नातक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित होता है अतः विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम में एक विषय एलिमेन्ट्री के रुप में पढ़ाया जाना उचित होगा।

इसके अतिरिक्त प्रो0 मसऊद आलम ने अपना विचार रखते हुए अवगत कराया कि परास्नातक पाठ्यक्रम एम0ए0 में स्नातक स्तर का कोई भी विद्यार्थी आवदेन कर सकता है जिसपर वाह्य सदस्य प्रो0 मो0 शफ़ी द्वारा अपनी बात को उल्लिखित करते हुए अवगत कराया कि

परीक्षा नियंत्रक
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

कुलसचिव
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
कुलपति
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

Interdisciplinary के अंतर्गत यदि कोई विद्यार्थी परास्नातक एम0ए0 में प्रवेश लेता है तो उसे स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले पाठ्यक्रम चार जेनरिक इलेक्टिव प्रश्न पत्र अर्थात 24 क्रेडिट पढ़ने आवश्यक होगे, जिसपर समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी। **कार्यवाही अपेक्षित–संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं संकायाध्यक्ष, कला एवं मानविकी।**

बिन्दु संख्या–5 — **उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 146/सत्तर –1–2021 दिनांक 14.01.2021 में उल्लेखित बिन्दुओं में बिन्दु सं0 33 एवं 34 पर विचार जो निम्नवत है–**

1. **मूल्यांकन प्रणाली को दोषमुक्त करने हेतु पारदर्शी तथा प्रभावी मूल्यांकन पद्धति लागू करने हेतु एक परीक्षक को अधिकतम एक दिन में पच्चास उत्तर पुस्तिकाएं ही मूल्यांकन हेतु दी जाय तथा पुनर्मूल्यांकन व्यवस्था हेतु दी जाय तथा पुनर्मूल्यांकन व्यवस्था पुनः लागू की जाय।**
2. **प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले पांच छात्र/छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाएं अवलोकन हेतु रखी जाय जिससे प्रश्नपत्र हल करने की उत्कृष्ट विधि का अवलोकन कर अन्य छात्र छात्राएं भी प्रेरणा ले सकें।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा एवं विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों द्वारा उपरोक्त समस्त बिन्दुओं को सर्वसम्मति से अंगीक्रत किया गया एवं माननीय कुलपति महोदय द्वारा सुश्री अनम फ़ातिमा, सहायक आचार्य, कम्प्यूटर साईंस एवं आई0टी0 विभाग को समस्त विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाऐं विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसको समस्त समिति सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गयी। **कार्यवाही अपेक्षित–परीक्षा नियंत्रक।**

बिन्दु संख्या–6 — **विश्वविद्यालय में इन्ट्रानेट की व्यवस्था हेतु डॉ0 मज़हर खालिक, आई0टी0 हेड एवं डॉ0 अब्बास रज़ा हैदरी, सहायक आचार्य, कम्पयूटर साईस एवं आई0टी0 विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा इन्ट्रानेट के सम्बंध में डॉ0 रज़ा अब्बास हैदरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया एवं आगामी 10 कार्यदिवसों में विश्वविद्यालय में इन्ट्रानेट संचालित करने के निर्देश दिये गये जिसे समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी। **कार्यवाही अपेक्षित–डॉ0 रज़ा अब्बास रज़ा हैदरी।**

बिन्दु संख्या–7 — **विश्वविद्यालय के समस्त विभागों द्वारा सम्पादित करायी गयी बी0ओ0एस0 बैठक का कार्यवृत्त पर विचार–विमर्श।**

निर्णय– विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–परीक्षा नियंत्रक।**

बिन्दु संख्या–8 — **विश्वविद्यालय में सत्र 2020–21 से संचालित बी0एस0सी0 आनर्स पाठ्यक्रम पर विचार विमर्श।**

निर्णय– समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया एवं माननीय कुलपति महोदय द्वारा अभ्यर्थियों की अर्हताओं के अनुसार प्रवेश देने के निर्देश दिये गये, जिसको समस्त सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–समन्वयक प्रवेश।**

परीक्षा नियंत्रक
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

कुलसचिव
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
कुलपति
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

बिन्दु संख्या–9 **उर्दू विभाग के एक शोधार्थी श्री मुखतार के कोर्स वर्क के सम्बंध में प्रार्थना पत्र पर विचार विमर्श।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तल्लीनता से विचार किया गया जिसके बाद यह तथ्य दृष्टिगत हुआ कि प्रार्थी को शोध हेतु सत्र 2020–21 में अवकाश सृजित हुआ है एवं सत्र 2020–21 में पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम में कोई नवीन प्रवेश नही हुआ है तथा विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफ़ी को सम्बंधित शोधार्थी का कोर्स वर्क पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया जिसको समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग।**

बिन्दु संख्या–10 **सत्र 2020–21 से विश्वविद्यालय में एम0सी0ए0 के 02 वर्षो के पाठ्यक्रम पर विचार विमर्श।**

निर्णय– विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–विषय प्रभारी, कम्प्यूटर साईंस एवं आई0टी0 विभाग।**

बिन्दु संख्या–11 **संस्कृत एवं समाजशास्त्र विषय को विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित के अन्तर्गत संचालित करने के सम्बंध में तथा स्नातक प्रथम सेमेस्टर में मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं सोशल वर्क विषयों को जेनरिक के रुप संचालित करने पर विचार।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा संस्कृत एवं समाजशास्त्र विषय को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित करने के निर्देश दिये गये जिसपर समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया, इसके अतिरिक्त समस्त सदस्यों द्वारा प्रथम सेमेस्टर में मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं सोशल वर्क को जेनरिक के रुप में संचालित न करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–निदेशक, अभियांत्रिकी एवं प्रौधोगिकी।**

बिन्दु संख्या–12 **विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग को स्थापित करने हेतु उसके नवीन नाम संस्कृत एवं प्राकृत भाषाऐं रखे जाने हेतु विचार एवं संस्कृत के विभाग को सामाजिक विज्ञान संकाय के अर्न्तगत संचालित किये जाने के सम्बंध में विचार।**

निर्णय– उल्लेखित बिन्दु पर चर्चा में प्रो0 मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष, कला एवं मानविकी संकाय द्वारा माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध किया गया कि संस्कृत भाषा को कला एवं मानविकी संकाय के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए जिसपर माननीय कुलपति महोदय द्वारा संस्कृत विभाग को सामाजिक विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्थापित करने एवं संचालित करने तथा इसके नवीन नाम संस्कृत एवं प्राकृत भाषाऐं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिसको समस्त सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया इसके अतिरिक्त इस सम्बंध में अन्य कोई संशोधन किये जाने हेतु समस्त सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान।**

बिन्दु संख्या–13 **भूगोल विभाग में** Geoinformatics **विषय में एम0एस0सी0 स्ववित्तपोषित रुप में संचालित किये जाने पर विचार।**

निर्णय– विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान।**

परीक्षा नियंत्रक
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

कुलसचिव
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
कुलपति
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

बिन्दु संख्या–14 **सत्र 2021–22 हेतु हास्टल मैनुअल पर विचार विमर्श।**

निर्णय– विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों द्वारा प्रोवोस्ट डॉ0 प्रवीण कुमार राय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार करते हुए मेरिट के आधार पर कक्ष आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा माननीय कुलपति महोदय द्वारा कुलसचिव को निर्देशित किया गया कि वे पुरुष एवं महिला छात्रावास में एक मेडिकल कक्ष का निर्माण करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे और विश्वविद्यालय में एक डाक्टर की व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देश दिये गये, माननीय कुलपति महोदय द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि किसी भी दशा में हास्टल कक्ष खाली नही रहेगा एवं सालाना मेरिट तैयार की जाएगी, जिसपर समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–प्रोवेस्ट।**

बिन्दु संख्या–15 **02 पी0एच0डी0 शोध कोआरडीनेटर नामित करने के सम्बंध में विचार।**

निर्णय– विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय को उक्त कार्य हेतु अधिकृत किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–समन्वयक, पी0एच0डी0।**

बिन्दु संख्या–16 **पी0एच0डी0 शोधार्थियों की प्रोगरेस रिर्पोट आर0ए0सी0 के माध्यम से विद्यापरिषद में रखा जाना है।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा कुलसचिव को समस्त शोधार्थियों को पत्र निर्गत करने हेतु निर्देशित किया कि समस्त शोधार्थी अपने विभाग में 10 दिन के भीतर अपने सम्बंधित गाईड से सम्पर्क स्थापित करे एवं समस्त संकायाध्यक्ष अपने स्तर से भी शोधार्थियों को सूचित करे कि समस्त शोधार्थी विश्वविद्यालय में कार्यदिवसों में उपस्थित होना सुनिश्चत करे, अन्यथा की स्थिति में शोधार्थियों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा, जिसपर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। **कार्यवाही अपेक्षित–समन्वयक, पी0एच0डी0।**

बिन्दु संख्या–17 **अलमुस्तफा विश्वविद्यालय ईरान से हुए एम0ओ0यू0 के सम्बंध में विदेश मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करना है।**

निर्णय– डॉ0 जावेद अख़्तर, सहायक आचार्य, फ़ारसी विभाग द्वारा सम्बंधित पत्रावलियों का अध्ययन कर अवगत कराया गया कि विदेश मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय में कोई अनापत्ती पत्र प्राप्त नही है। इस सम्बंध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनापत्ती पत्र के आभाव में अलमुस्तफा विश्वविद्यालय, ईरान के साथ हुए एम0ओ0यू0 को स्थगित करने के निर्देश दिये गये जिसपर समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–डॉ0 मो0 जावेद, सहायक आचार्य, फ़ारसी विभाग।**

बिन्दु संख्या–18 **मीडिया स्टूडियों की अधतन स्थिति के सम्बंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।**

निर्णय– डॉ0 रुचिता सुजय चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बंध में अवगत कराया गया कि वे एम माह के भीतर शिक्षकों के लगभग 500 ऑनलाईन लेक्चर की शूटिंग पूर्ण कराऐगी एवं इस कार्य हेतु उनको स्टाफ की अवश्यक्ता है जिसपर माननीय कुलपति महोदय द्वारा अवगत करया गया कि स्टाफ की अवश्यक्ता वित्त समिति से अनुमोदित करा दी गयी है एवं यह भी अपेक्षा की गयी है कि वे अपने विभाग के विद्यार्थियों से भी आवश्यक

परीक्षा नियंत्रक
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती

कुलसचिव
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
कुलपति
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

सहायता प्राप्त करे, जिसपर समस्त सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–डॉ0 रुचिता सुजए चौधरी, विषय प्रभारी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग।**

बिन्दु संख्या–19 **विश्वविद्यालय के प्रायोगिक विषयों के सभी लैबों में लैब असिस्टेंट की अवश्यकता पर विचार।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा अवगत कराया गया है कि लैब असिस्टेंट की अवश्यकताओं को वित्त समिति से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, जिसपर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी एवं माननीय कुलपति महोदय द्वारा कुलसचिव को निर्देशित किया गया कि लैब असिस्टेंट के पद के लिए शासन से पत्राचार करना सुनिश्चित करे एवं शासन द्वारा पद न भेजे जाने तक स्ववित्तपोषित योजना के अर्न्तगत लैब असिस्टेंट की न्युक्ति की जाए जिसको समस्त सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–कुलसचिव।**

बिन्दु संख्या–20 **शिक्षकों के लोड आकलन हेतु समिति का निर्माण किया जाने पर विचार।**

निर्णय– विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय को उक्त कार्य हेतु अधिकृत किया गया, जिसपर समस्त सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–परीक्षा नियंत्रक।**

बिन्दु संख्या–21 **शिक्षाशास्त्र विभाग के अर्न्तगत एम0एड0 पाठ्यक्रम नियमित रुप से संचालित किये जाने के सम्बंध में विचार।**

निर्णय– समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए शासन को शिक्षकों के पद सृजन सम्बंधी प्रस्ताव को प्रेषित करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया जिसपर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। **कार्यवाही अपेक्षित–संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं कुलसचिव।**

बिन्दु संख्या–22 **उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के पत्र संख्या–400/रा0उ0शि0प0/53/10 दिनांक 17.11.2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन किये जाने के सम्बंध में विचार।**

निर्णय– विद्यापरिषद द्वारा इस सम्बंध में निम्नानुसार समिति गठित करने हेतु निर्देशित किया गया–

1. माननीय कुलपति – अध्यक्ष।
2. समस्त संकायाध्यक्ष – सदस्य।
3. प्रो0 रजनी रंजन सिंह, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ। – सदस्य।
4. प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ल, वाणिज्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय। – सदस्य।
5. प्रो0 दुष्यन्त सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय। – सदस्य।
6. प्रो0 पी0के0 साहू, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज – सदस्य।
7. प्रो0 अभय सिंह, भौतिक विज्ञान विभाग, बी0एच0यू0, वाराणसी – सदस्य।
8. डॉ0 सौबान सईद, सह आचार्य, उर्दू विभाग – सदस्य।
9. प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफ़ी, सकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय –सदस्य सचिव।

परीक्षा नियंत्रक
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

कुलसचिव
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
कुलपति
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

उक्त कार्य हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफ़ी, सदस्य सचिव को विभिन्न विशेष आमंत्रियों को आमंत्रित करने के लिए अधिकृत किया गया एवं माननीय कुलपति महोदय द्वारा समस्त विभागों को राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020 के अनुसार ही पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया जिसको समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफ़ी, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग।**

बिन्दु संख्या–23 **विद्यापरिषद को RUSA की अधतन स्थिति से अवगत कराना है।**

निर्णय– रुसा के अन्तर्गत प्रेषित प्रस्तावों के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ0 प्रवीण कुमार राय को एक माह के भीतर समस्त विभागों के साथ बैठक कर सम्बंधित प्रस्तावों को हस्ताक्षरित कराकर अग्रेत्तर कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये गये, जिसको समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–डॉ0 प्रवीण कुमार राय।**

बिन्दु संख्या–24 **समिति द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय अध्यादेश की रिर्पोट को अंगीकृत करने पर विचार।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा अध्यादेश सुधार समिति को 03 दिनों में अध्यादेश को पूर्ण कर कुलसचिव के माध्यम से शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये, जिसपर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। **कार्यवाही अपेक्षित–प्रो0 चंदना डे, डॉ0 जावेद अख़तर एवं कुलसचिव।**

बिन्दु संख्या–25 **जिन विभागों को अपने विभाग के अन्तर्गत कोई नवीन स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित करना है वहा स्नातक स्तर पर एक आचार्य, एक सह आचार्य एवं दो सहायक आचार्य एवं परास्नातक स्तर पर एक आचार्य, एक सह आचार्य एवं चार सहायक आचार्य की नियुक्ति को दृष्टिगत रखते हुए बजट एवं प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित विभागों की परिनियमावली तैयार करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया जिसको समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–समस्त संकायाध्यक्ष, निदेशक एवं कुलसचिव।**

बिन्दु संख्या–26 **शोधार्थियों के बैठने की एवं शोध कार्य हेतु कम्प्यूटर इत्यादि की व्यवस्था पर विचार विमर्श।**

निर्णय– शोधार्थियों के बैठने एवं कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा सहायक कुलसचिव/सम्पत्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया जिसको समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–सम्पत्ति अधिकारी एवं कुलसचिव।**

बिन्दु संख्या–27 **शोधार्थियों को विश्वविद्यालय स्तर पर वित्तीय सहायता अथवा छात्रवृत्ति के सम्बंध में विचार।**

परीक्षा नियंत्रक
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

कुलसचिव
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो० विनय कुमार पाठक)
कुलपति
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

निर्णय– शोधार्थियों को वित्तीय सहायता देने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में 25 प्रतिशत बची घनराशि का प्रयोग किया जाएगा एवं इस सम्बंध में एक समिति गठित की गयी है–

1. प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ल, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. प्रो0 मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष, कला एवं मानविकी संकाय।
3. माननीय कुलपति महोदय द्वारा नामित शोध कोअर्डिनेटर।

उपरोक्त नामित समिति को समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–प्रो0 मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष, कला एवं मानविकी संकाय**

बिन्दु संख्या–28 **विदेशी विश्वविद्यालयों अथवा संस्थानों से किये गये एम0ओ0यू0 को पुनः जाग्रत किये जाने पर विचार एवं सम्बंधित विभाग के एम0ओ0यू0 का विदेश मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय से पत्र प्रेषित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रुप से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि बिना विदेश मंत्रालय के अनुमोदन अथवा अनापत्ती प्राप्त हुए कोई एम0ओ0यू0 मान्य नही होगा इसके साथ ही गिरी इन्सटिच्यूट, लखनऊ के साथ हुए एम0ओ0यू0 को भी रद्द करने हेतु निर्देशित किया गया जिसको समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–डॉ0 जावेद अख़्तर, सहायक आचार्य, फ़ारसी विभाग।**

बिन्दु संख्या–29 **अल मुस्तमा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि धारकों के ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के फ़ारसी विभाग में परास्नातक में प्रवेश हेतु फैकल्टी बोर्ड की संस्तुति पर विचार।**

निर्णय– विद्यापरिषद के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय मूल के वे विद्यार्थी जो विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर भारतीय विश्वविद्यालय में परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक है तो वे भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नियमानुसार प्रवेश प्राप्त कर सकते है परन्तु विदेशी मूल के वे विद्यार्थी जो भारत में किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते है तो ऐसे विद्यार्थियों को एम0एच0आर0डी0 एवं विदेश मंत्रालय के नियमों/अनुमोदन के अनुसार ही भारतीय विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा जिसको सर्वसम्मति से समस्त सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–डॉ0 जावेद अख़्तर, सहायक आचार्य, फ़ारसी विभाग।**

बिन्दु संख्या–30 उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 को प्रेषित पत्र के अनुसार बिन्दु सं0 8.2.4 एवं 8.2.5 पर विचार।

8.2.4– छात्रों हेतु अन्तराल वर्ष– जो छात्र उद्यिमिता के क्षेत्र में अग्रसर होना चाहते है, उन्हे स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के पश्चात एक वर्ष का अवकाश (अन्तराल वर्ष) लेने की अनुमति दी जाएगी पाठ्यक्रम पूर्ति के लिए आवश्यक अधिकतम अवधि में इस एक वर्ष के अन्तराल की गणना नहीं की जायेगी। पाठ्यक्रम की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए "अन्तराल वर्ष" सुविधा को पाठ्यक्रम में पुनः सम्मिलित होते समय दिया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रक
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती

कुलसचिव
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो० विनय कुमार पाठक)
कुलपति
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

8.2.5– **छात्र परियोजनायें– किसी सटार्टअप अवधारणा पर काम करने वाले छात्र उधमी को डिग्री की पूर्णता हेतु अपनी सटार्टअप परियोजना को अपने अन्तिम वर्ष की परियोजना के रुप में बदलने की अनुमति दी जायेगी।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा उपरोक्त अंकित दोनो बिन्दुओं एवं शासन के सम्बंधित पत्र को विश्वविद्यालय अध्यादेश में अंगीक्रत करने हेतु निर्देशित किया जिसको समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–प्रो0 चंदना डे एवं डॉ0 जावेद अख़्तर, सहायक आचार्य, फ़ारसी विभाग।**

बिन्दु संख्या–31 **भूगोल विभाग के शोधार्थियों हेतु सुपरवाईज़र नामित करने के सम्बंध में।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा भूगोल विभाग के तीन शोधार्थियों के प्रार्थना पत्र के सापेक्ष भूगोल विभाग के सह आचार्य डॉ0 प्रवीण कुमार राय को तीनों शोधार्थियों का सुपरवाईज़र नामित किया एवं सम्बंधित तीनों शोधार्थियों के लिए एक सह सुपरवाईज़र नामित करने हेतु समिति के समस्त सदस्यों सर्वसम्मति से माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया। **कार्यवाही अपेक्षित–डॉ0 जावेद अख़्तर, सहायक आचार्य, फ़ारसी विभाग।**

बिन्दु संख्या–32 **विश्वविद्यालय के पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम में पंजीकृत शोधार्थियों को प्रत्येक शिक्षण दिवस में विश्वविद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य करने पर विचार।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा कुलसचिव महोदय को विश्वविद्यालय में पंजीकृत समस्त शोधार्थियों को एक पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है कि समस्त शोधार्थी प्रत्येक कार्यदिवस में विश्वविद्यालय उपस्थित होगें एवं एक सप्ताह के भीतर अपने सुपरवाईज़र को सम्पर्क करना सुनिश्चित करे। विद्यापरिषद द्वारा सम्बंधित पत्र के निर्माण हेतु डॉ0 प्रियंका को निर्देशित किया गया जिसपर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। **कार्यवाही अपेक्षित–डॉ0 प्रियंका, पी0एच0डी0 समन्वयक।**

बिन्दु संख्या–33 **विश्वविद्यालय में Alumni Association का साफ्टवेयर तैयार करने हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार।**

निर्णय– उक्त बिन्दु पर विचारोप्रान्त Alumni Association हेतु बाज़ार में उपलब्ध साफ्टवेयर क्रय करने के लिये निर्देशित किया गया एवं माननीय कुलपति महोदय द्वारा इस कार्य का सम्पादन डॉ0 नीरज शुक्ल, सहायक आचार्य, वाणिज्य की देख रेख में किये जाना के आदेश निर्गत किये गये, इस कार्य हेतु डॉ0 नीरज शुक्ल के निवेदन पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ0 नीरज शुक्ल को अपने सहयोगार्थ दो अन्य शिक्षकों को रखने हेतु आदेशित किया गया जिसके सापेक्ष डॉ0 नीरज शुक्ल द्वारा डॉ0 अताउर्रहमान आज़मी, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग एवं डॉ0 शान–ए–फ़ातिमा, सहायक आचार्य, कम्प्यूटर साईंस विभाग (बी0टेक0 स्ववित्तपोषित) का नाम प्रस्तावित किया गया जिसको समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–डॉ0 नीरज शुक्ल, सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग।**

परीक्षा नियंत्रक
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

कुलसचिव
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
कुलपति
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

बिन्दु संख्या–34 **विश्वविद्यालय में पार्ट टाईम पी0एच0डी0 हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर विचार।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा पार्ट टाईम पी0एच0डी0 के सम्बंध में पूछे जाने पर समस्त सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि अध्यादेश में पार्ट टाईम पी0एच0डी0 हेतु कोई नियम नही है अतः विश्वविद्यालय में पार्ट टाईम पी0एच0डी0 संचालित नही हो सकती है, जिसपर समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–डॉ0 प्रियंका, पी0एच0डी0 समन्वयक।**

बिन्दु संख्या–35 **Approval of Online International Journal and application for ISSN no.**

निर्णय– विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों द्वारा An international online Journal on Pt. Deen Dayal Upadhyay शोध पत्रिका पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–प्रो0 चंदना डे एवं डॉ0 लक्षमण सिंह।**

बिन्दु संख्या–36 **Regarding Compilation of Ph.D. Vacant seats as forwarded by Heads & Deans of respective departments and faculties.**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ0 प्रियंका को निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय का पी0एच0डी0 अध्यादेश शासन से अनुमोदित होने के उपरान्त ही पी0एच0डी0 की रिक्त सीटों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया सम्पादित करायी जाएगी इसके साथ ही पी0एच0डी0 शोधार्थियों हेतु एक पोर्टल का निर्माण भी कराया जाएगा जिसमें समस्त शोधार्थियों को लागइन आई0डी0 एवं पासवर्ड वितरित किया जाए, जिस पर समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–समस्त संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं समन्वयक पी0एच0डी0।**

बिन्दु संख्या–37 **विश्वविद्यालय के समस्त विभागों की विभागीय बैठकों के कार्यवृत्त पर विचार।**

निर्णय– समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से विभागों की पिछली विभागीय बैठक पर अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–उप कुलसचिव।**

बिन्दु संख्या–38 **माननीय कुलपति महोदय द्वारा विभिन्न गठित समितियों एवं कार्यालय ज्ञाप का अनुमोदन।**

निर्णय– समस्त सदस्यों द्वारा वर्तमान माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 27.01.2021 तक अनुमोदित आदेशों के क्रम में निर्गत कार्यलय ज्ञापों एवं आदेशों को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–39 **Proposal for the introduction of French, German, Korian & Japanese languages in the department of English & M.E.A.L. in Khwaja Moinuddin Chisti Language University, Lucknow.**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा French, German, Korian & Japanese भाषाओं की मांग को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2021–22 से इन भाषाओं में Short Certificate Course स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित करने के निर्देश दिये गये जिसपर समस्त सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–डॉ0 तनवीर ख़दीजा, विभागाध्यक्ष, अंग्रेज़ी विभाग।**

परीक्षा नियंत्रक
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

कुलसचिव
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

बिन्दु संख्या–40 **अन्य बिन्दु माननीय कुलपति/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।**

बिन्दु संख्या–40.1 **विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद के वाह्य सदस्यों को संशोधित कर नामित करने के सम्बंध में विचार।**

निर्णय– विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय को उक्त कार्य हेतु अधिकृत किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–प्रो0 चंदना डे एवं डॉ0 लक्षमण सिंह।**

बिन्दु संख्या–40.2 **विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों में** Artificial Intelligence **को संचालित किये जाने पर विचार।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा उपरोक्त बिन्दु को अगली विद्यापरिषद की बैठक में रखने के निर्देश दिये एवं यह भी अवगत कराया कि Artificial Intelligence को संचालित करने से पहले समस्त शिक्षकों की ट्रेनिंग आवश्यक है जिसको समस्त सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गयी। **कार्यवाही अपेक्षित–परीक्षा नियंत्रक एवं प्रो0 सैय्यद हैदर अली, संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण।**

बिन्दु संख्या–40.3 **विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अन्तर्गत एम0ए0 अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम संचालित कराने पर विचार।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा अर्थशास्त्र विभाग के अन्तर्गत एम0ए0 अर्थशास्त्र को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2021–22 से संचालित करने के निर्देश दिये गये जिसको विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–प्रभारी, अर्थशास्त्र।**

बिन्दु संख्या–40.4 **विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय का नवीन प्रतीक चिन्ह को धारण करने पर विचार।**

निर्णय– डॉ0 तनु डंग द्वारा विश्वविद्यालय के नवीन प्रतीक चिन्ह के निर्माण के के लिए एक प्रतियोगिता का अयोजन किया गया जिसमे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया गया था, जिसमे से विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉ0 सचेन्द्र शेखर एवं डॉ0 भीम सोनकर द्वारा निर्मित प्रतीक चिन्ह को विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकृत करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित–डॉ0 तनु डंग, सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग।**

बिन्दु संख्या–40.5 **ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती पीठ की स्थापना किये जाने पर विचार।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती शेध पीठ की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया जिसे समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया एवं इस कार्य हेतु उर्दू विभाग के आचार्य प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफ़ी को नामित किया गया एवं शोध पीठ की इन्डाउमेंट राशि लगभग एक करोड़ रखे जाने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसको सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया इसके अतिरिक्त प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफ़ी द्वारा इन्डाउमेंट राशि रु0 25 लाख तक करने का प्रस्ताव रखा गया। **कार्यवाही अपेक्षित–प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफ़ी, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग।**

परीक्षा नियंत्रक
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

कुलसचिव
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
कुलपति
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

बिन्दु संख्या–40.6 — **दीक्षांत समारोह में नए मेडल प्रारम्भ किये जाने के लिए नवीन इन्डाउमेंट राशि के निर्धारण के सम्बंध में।**

निर्णय– माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह के विद्यार्थियों को दिये जाने वाले नए मेडलस हेतु नयी इन्डाउमेंट राशि निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये गये एवं यह भी अवगत कराया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछले दीक्षांत समारोह में जितनी इन्डाउमेंट राशि प्रयोग हुई है वही धनराशि विश्वविद्यालय में भी प्रयोग की जानी चाहिए, लखनऊ विश्वविद्यालय से इस सम्बंध में सम्पर्क सथापित किया गया जिससे यह संज्ञान में आया कि वहा इन्डाउमेंट धनराशि पांच लाख रुपया है, समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
कार्यवाही अपेक्षित–परीक्षा नियंत्रक।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(प्रो0 एहतेशाम अहमद)
परीक्षा नियंत्रक।
परीक्षा नियंत्रक
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव।
कुलसचिव
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
मा0 कुलपति/अध्यक्ष, विद्यापरिषद
(प्रो० विनय कुमार पाठक)
कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ